



2026:AHC:21824

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2870, वर्ष 2025

हंसराज
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव (भू-राजस्व)
के माध्यम से, और 7 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : कुंदन कुमार, राखी कुमारी
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एन. मिश्रा, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, तथा ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह को सुना गया।
2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-
"(i). परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह दिनांक 9.7.2025 के अभ्यावेदन पर, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय ले।"
3. इस न्यायालय ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता और ग्राम सभा को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।
4. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, उप-विभागीय अधिकारी, ज्ञानपुर, भदोही द्वारा दिनांक 28.11.2025 को भेजे गये निर्देश को अभिलेख पर लिया गया।
5. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एम.एन. मिश्रा ने यह प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादी संख्या 6, 7 और 8 के विरुद्ध, तहसीलदार द्वारा यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (1) के तहत पारित बेदखली और हर्जाने के दिनांक 30.8.2024 के आदेश के विरुद्ध तीन अलग-अलग आवेदन दायर किए गए हैं, जो निस्तारण हेतु लंबित हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि लंबित बहाली आवेदनों के निस्तारण के उपरांत, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित कदम उठाए जाएंगे। लंबित आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



1. वाद संख्या T202516670410680

2. वाद संख्या T202516670410679

3. वाद संख्या T202516670410681

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि लंबित बहाली आवेदन का निस्तारण एक समय-सीमा के भीतर करने हेतु उचित निर्देश जारी किया जाए।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.8.2024 को बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया है। इस तथ्य को लेकर भी कोई विवाद नहीं है कि बहाली के आवेदन दायर किए गए हैं, जो निस्तारण हेतु लंबित हैं।

9. यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा-460 के अंतर्गत, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत की गई कार्यवाही में पारित आदेश के कार्यान्वयन/निष्पादन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

10. दिनांक 28.11.2025 के निर्देश में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस जनहित याचिका का अंतिम निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत की गई कार्यवाही में पारित आदेश के विरुद्ध लंबित उपर्युक्त बहाली आवेदन पर, पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विधि के अनुसार शीघ्रता से निर्णय लें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

30 जनवरी 2026

पीएस